बिहार सरकार
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग)
कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना–800 014

संख्या–FC/177/2020- 591

प्रेषक,

अरविन्दर सिंह, भा०व०से०,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिर्वन विभाग,
बिहार सरकार, पटना।

पटना 14, दिनांक– 22/08/2023

विषय– मो. जेबा प्रवीन द्वारा पूर्णियाँ जिलान्तर्गत बैसा ग्राम के खाता संख्या–129, खेसरा संख्या–228, 229 एवं 230 में SH-99 पथ के किनारे IOCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.012 हे. वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त्तों का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग– पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची का पत्रांक FP/BR/Others/64004/2020/622, दिनांक 18.10.2022

महोदया,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र द्वारा वन भूमि अपयोजन की सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त हुई है। सैद्धान्तिक सहमति (Stage-I) पत्र में अधिरोपित शर्त्तों का अनुपालन प्रतिवेदन प्रयोक्ता एजेंसी के पत्र दिनांक 11.08.2023 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्राप्त हुआ है, जो निम्नवत है–

क्र० सं०	भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, राँची का पत्र दिनांक 18.10.2022 में निहित कंडिका	अनुपालन
A:	**Conditions which need to be complied prior to handing over of forest land by the Stae Forest Department.**	
1	The User agency shall transfer the const of raising and maintain the compensatory afforestation (100 trees plantation and maintenance for 10 year) at the current wage rate in consultation with state forest department in the account of CAMPA of the concerned State through online portal.	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा हरितावरण को बनाये रखने के लिए 100 वृक्षों के रोपण तथा उनके 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु रू० 8,65,161.00 (रू० आठ लाख पैसठ हजार एक सौ इकसठ) मात्र की राशि को बिहार राज्य हेतु निर्धारित Account No. 1506219964004116, BIHAR CAMPA, Union Bank of India, Bengaluru, में e-challan के माध्यम से फंड ट्रांसफर कर दिनांक 01.07.2023 को जमा करा दी गई है, जिसका UTR No. BARBR52023070100992650 है। उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है।

Email-apccfcampa.bih@gmail.com; मो० 8986153143

2	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 0.012 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the order of the Hon'ble Supreme Court of India dated	NPV मद में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा 0.012 हे० अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये रू० 9,57,780/– प्रति हे० की दर से कुल रू० 11,493/– (ग्यारह हजार चार सौ तिरानवे रूपये) मात्र की राशि को बिहार राज्य हेतु निर्धारित Account No. 1506219964004116, BIHAR CAMPA, Union Bank of India, Bengaluru, में e-challan के माध्यम से फंड ट्रांसफर कर दिनांक 01.07.2023 को जमा करा दी गई है, जिसका UTR No. BARBR52023070100992650 है । उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है।
3	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred deposited to CAMPA fund only through e-protal	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सभी प्रकार की राशि e-challan के माध्यम से फंड ट्रांसफर कर दिनांक 01.07.2023 को राशि जमा करा दी गई है (बैंक e-challan RTGS/ NEFT की विस्तृत विवरणी इस पत्र के साथ संलग्न)।
4	The FRA, 2006 certificate as per ministry's guidelines shall be submitted before the issuance	जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ द्वारा निर्गत FRA 2006 प्रमाण–पत्र इस पत्र के साथ संलग्न भेजा जा रहा है।
5	Violation of any of these conditions will amount to violation of forest (Conservation) Act, 1980	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि उनके द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।
6	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in)	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सभी शर्त्तों का Compliance report, Ministry के Website पर अपलोड कर दिया गया।
B:	**Conditions which need to be strictly complied on field after handing over of forest land to the Usr Agency by the State Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted prior to Stage – II approval:**	
1	Legal status of forest land proposed for diversion shall remain unchanged.	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि प्रस्तावित वन भूमि के वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्त्तन नहीं किया जायेगा।
2	The state forest department shall plant 100 trees to maintain the green cover at the project cost. Plantation site for the purpose shall	100 पौधों के रोपण हेतु 10 वर्षीय प्राक्कलन की राशि प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा जमा करा दी गयी है। अंतिम स्वीकृति के उपरांत उक्त कार्यो को वन विभाग के द्वारा किया जायेगा।
3	Additional amount of NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि प्रस्तावित वन भूमि के लिये अगर NPV की राशि में किसी प्रकार की वृद्धि या संशोधन होती है, तो उसका भुगतान करेंगे।
4	The approach road to petrol pump/ fuel station should be as per	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्त्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
a	Fuel station should generally be part of rest area complex having other amenities like place	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्त्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
b	Suitable signs and markings showing the location of the fuel	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्त्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
c	Entire Periphery of the retail outlet should be lined up with	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्त्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।

Email-apccfcampa.bih@gmail.com; मो० 8986153143

d	Suitable plantations should be raised by the user agency along	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्त्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
5	Wherever possible and technically feasible, the User Agency	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्त्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
6	The User Agency shall ensure that the loaboures and staff engaged in construction acitivity do not	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्त्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
7	The lay out plan of the proposal shall not be changed without	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्त्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
8 (a)	The forest land shall not be used for any purpose other than	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्त्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
(b)	The period of diversion under this approval shall be	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्त्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
(c)	The forest land proposed to be diverted shall under	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्त्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
9	Any other conditions that the Ministry of Environment, ...	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्त्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।

अतः अनुरोध है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय से विषयाधीन परियोजना में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् 0.012 हे० सुरक्षित वन घोषित पथ किनारे की भूमि के अपयोजन हेतु अंतिम स्वीकृति (Stage – II) निर्गत करने का अनुरोध करने की कृपा की जाय। **प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार का अनुशंसा प्राप्त है।**

अनु0—यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह०/—

(अरविन्दर सिंह)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा),

—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),

बिहार, पटना।

ज्ञापांक— FC/177/2020- 591 दिनांक— 22/08/2023

प्रतिलिपि : वन संरक्षक, पूर्णियाँ अंचल, पूर्णियाँ /वन प्रमंडल पदाधिकारी, पूर्णियाँ वन प्रमंडल, पूर्णियाँ एवं श्री जेबा प्रवीन, अबदुल बारी, ग्राम—मछैला, पोस्ट+थाना—महलगाँव, अंचल—जोगीहाट, जिला—अररिया, पिन—854325 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/8/23

(अरविन्दर सिंह)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)

—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),

बिहार, पटना।

Email-apccfcampa.bih@gmail.com; मो० 8986153143

Proforma

1	Name of Regional Office	Eastern Region, Ranchi
2	State/Distt./ Forest Division to Which the proposal Relates	Bihar/Purnea/ Purnea Forest Division, Purnea.
3	Name of User Agency nature of proposal	Md. Zeba Praween / IOCL Retail Outlet
4	Extent of forest area involved	0.012 Ha.
5	Whether Original, or extension	Original
6	If extension of lease, Pl clarify if proposal involves additional forest area, and if so, specify	-NA-
7	Date of 1st stage Clearance	18.10.2023
8	**Extent of CAMPA charges head wise viz.**	
	a. Compensatory Afforestation	8,65,161/-
	b. Additional CA	-NA-
	C. Penal CA	-NA-
	d. Catchment Area Treatment	-NA-
	e. Wildlife Management Plan	-NA-
	f. Additional Charges for diversion of area falling under notified/Protected areas	-NA-
	g. Net present Value	11,493/-
	h. Penal NPV	-NA-
9	Details of Bank RTGS/NEFT head-wise against items indicated in paragraph	(see table below)
10	Whether deposited by RTGS, if so, the particulars & date of remittance	As above.
11	Bank in which deposited, with date of deposition.	All above e-challan sent to Union Bank of India, Bengaluru on dt. 01.07.2023
12	Any other remarks	

S.No	MODE Remtt.	UTR No. & Date	Amount	Head
1	e-challan	BARBR52023070100992650 dated 01.07.2023	11,493/-	NPV
2			8,65,161/-	CA
		Total-	**8,76,654/-**	

24/10/23

(Arvinder Singh)
Signature of APCCF (CAMPA)-
cum-Nodal Officer (FC), Bihar.

Email-apccfcampa.bih@gmail.com; मो० 8986153143

(59)

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

दिनांक– 11/08/23

विषय– मो. जेबा प्रवीन द्वारा पूर्णियाँ जिलान्तर्गत बैसा गाम के खाता संख्या–129, खेसरा संख्या–228, 229 एवं 230 में SH-99 पथ के किनारे IOCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.012 हे. वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग– आपका पत्रांक 468, दिनांक 28.06.2023,

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में कहना है कि विषयान्तर्गत प्रस्ताव पर भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के पत्रांक FP/BR/Others/64004/2020/622, दिनांक 18.10.2022 द्वारा दो भागों में (A में 1–6 शर्त एवं B में 1–9 शर्त) सैद्धांतिक स्वीकृति दी गयी है। उक्त का अनुपालन प्रतिवेदन निम्नवत् समर्पित कर रहा हूँ–

भाग–A: Conditions which need to be complied prior to handing over of forest land by the Stae Forest Department.

1. हरितावरण को बनाये रखने हेतु 100 वृक्षों के रोपण की 10 वर्षीय प्राक्कलन की राशि रू. 8,65,161.00 को मेरे द्वारा बिहार राज्य के लिये निर्धारित, BIHAR CAMPA A/c No. 1506219964004116, Union Bank of India, Bengaluru में फंड ट्रांस्फर कर दिनांक 01.07.2023 को जमा करा दी गई है, जिसका UTR No.-BARBR52023070100992650 है, जो Ministry website पर प्रदर्शित है। (मूलप्रति संलग्न)।

2. NPV के मद में मेरे द्वारा द्वारा 0.012 हे० अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये रू० 9,57,780/– प्रति हे० की दर से कुल रू० 11,493/– को बिहार राज्य के लिये निर्धारित, BIHAR CAMPA A/c No. 1506219964004116, Union Bank of India, Bengaluru में फंड ट्रांस्फर कर दिनांक 01.07.2023 को जमा करा दी गई है, जिसका UTR No.-BARBR52023070100992650 है, जो Ministry website पर प्रदर्शित है। (मूलप्रति संलग्न)।

3. मेरे द्वारा क्षतिपूरक वनरोपण एवं NPV की राशि को e-challan के माध्यम से फंड ट्रांस्फर कर Union Bank of India, Bengaluru के खाता में दिनांक 01.07.2023 को जमा करा दी गयी है तथा उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है।

4. जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ द्वारा निर्गत FRA-2006 प्रमाण–पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।

5. मेरे द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।

6. मेरे द्वारा सभी शर्तों का Compliance report, Ministry ds Website-http://parivesh.nic.in पर अपलोड कर दिया गया है।

58

भाग–B: Conditions which need to be strictly complied on field after handing over of forest land to the Usr Agency by the State Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted prior to Stage – II approval:

1. अपयोजित होने वाली वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्त्तन नहीं करूगा।
2. इन शर्त्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
3. मेरे द्वारा वचनबद्धता दी गयी है कि प्रस्तावित वन भूमि के लिये अगर NPV की राशि में किसी प्रकार की वृद्धि या संशोधन होता है तो, उसका भुगतान करेंगे।
4. इन शर्त्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

a. इन शर्त्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

b. इन शर्त्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

c. इन शर्त्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

d. इन शर्त्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

5. इन शर्त्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
6. इन शर्त्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
7. इन शर्त्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

8\. (a) इन शर्त्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

(b) इन शर्त्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

(c) इन शर्त्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

9\. इन शर्त्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

इस प्रकार मेरे द्वारा सभी शर्त्तों का अनुपालन कर दिया गया है। अतः अनुरोध है कि मेरे द्वारा समर्पित परियोजना पर अन्तिम स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की जाय।

अनु०–यथोक्त

विश्वासभाजन

जेबा प्रवीन

(जेबा प्रवीन)
अबदुल बारी,
ग्राम–मछैला, पोस्ट+थाना–महलगॉव,
अंचल–जोगीहाट, जिला–अररिया,
पिन–854325

56

AGENCY COPY

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

आंध्रा Andhra | कार्पोरेशन Corporation

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 30-06-2023

Agency Name.	ZEBA PARWEEN ABDUL BARI
Application No.	19964004116
MoEF/SG File No.	FP/BR/OTHERS/64004/2020
Location.	BIHAR
Address.	Village-Machhaila, PO, Mahalgaon, Anchal-JokihatAraria
Amount(in Rs)	876654/-

Amount in Words :Eight Lakh Seventy-Six Thousand Six Hundred and Fifty-Four Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	BIHAR CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1506219964004116 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Zeba Parween

Note:After making the required payment through even after 7 working days, then kindly mail a cop id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epu ubin0903710@unionbankofindia.bank

UTR - BARBR52023070100992650

Bank of Baroda

https://forestsclearance.nic.in/useraccount/Neft_ChallanCo

सुहर्ष भगत, भा०प्र०से०
जिला पदाधिकारी एवं समाहर्त्ता
पूर्णिया (बिहार)

बिहार सरकार

Tel 06454-242501/242522
Fax 06454-242599
Email dm-purnea.bih@nic.in

दूरभाष 06454-242501/242503/242522 फैक्स 06454-242599/242505 ईमेल dm-purnea.bih@nic.in

पत्रांक- 132 /सा०.

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी
पूर्णिया वन प्रमण्डल, पूर्णिया

पूर्णिया, दिनांक 13/01/23

विषय :- पूर्णिया जिलान्तर्गत मौजा बैसा, खाता सं0-129 प्लॉट सं0-228, 229 एवं 230 थाना-रौटा में SH-99 पथ किनारे इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 अन्तर्गत 0.012 हे0 वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर **FRA** 2006 प्रमाण-पत्र निर्गत करने के संबंध में ।

प्रसंग :- आपका पत्र सं0-797, दिनांक-29.03.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में पूर्णिया जिलान्तर्गत मौजा बैसा, खाता सं0-129 प्लॉट सं0-228, 229 एवं 230 थाना-रौटा में SH-99 पथ किनारे इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 अन्तर्गत 0.012 हे0 वन भूमि अपयोजन हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)- सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, बिहार पटना का ज्ञापांक-505, दिनांक-18.06.2021 के आलोक में FRA 2006 प्रमाण-पत्र मूल में संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है ।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन

13/01/23

जिला पदाधिकारी
पूर्णिया

Scanned with CamScanner

Form-I
(For Linear Projects)
Government Of Bihar
Office of the District Collector, Purnea

No.-...131...... **Dated :-**...13/01/23...........

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's Letter No.-11-9/98-FC (pt.) Dated 3rd August 2009 Wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidence for having initiated and completed the process of settlement of right under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forest Right) Act, 2006 ('FRA', for Short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purpose read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **0.012** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Indian Oil Corporation Limited** (name of user agency) for **Retail Outlet Installing in Mauza-Baisa, Khata No-129, Plot No.-228, 229 & 230 Thana-Rauta on the S.H-99** (purpose for diversion of forest land) in **Purnea** District falls within jurisdiction of **Raiber** Gram Panchayat(s) in **Baisa** tehsils/Anchal.

It is Further certified that-

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **0.012** Hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the Forest Rights Committee(S), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee (s) and District Level Committee are enclosed as annexure...01....to ...20.....annexure.

(b) The diversion of forest land for facilities managed by Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have giver their consent to it ;

(c) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural Communities.

Encl: As Above.

13/01/23

District Magistrate,
Purnea

Scanned with CamScanner

कुमारी तोसी, बि०प्र०से०
अनुमण्डल पदाधिकारी, बायसी
(पूर्णियाँ) (MOB- 9473191362)

बिहार सरकार

Kumari Tosi, (B.A.S)
Sub-Divisional Officer, Baisi
(Email- sdo.baisee@gmail.com)

(31)

3268
17/8/22

पत्रांक :- 3629

सेवा में,
प्रभारी पदाधिकारी,
जिला सामान्य शाखा,
पूर्णिया।

बायसी, दिनांक:- 30-07-22

विषय :- पूर्णिया जिला अन्तर्गत बैसा मौजा के खाता सं0-129, प्लॉट सं0-228, 229 एवं 230, थाना-रौटा में SH-99 पथ के किनारे IOCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ हेतु वन भूमि के अपयोजन प्रस्ताव पर FRA-2006 के तहत् प्रमाण-पत्र निर्गत करने के लिए अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों का मान्यता) अधिनियम, 2006 तथा नियम, 2008 के तहत समिति का गठन के संबंध में।

प्रसंग :- जिला पदाधिकारी महोदय, पूर्णिया के पत्रांक-1449/सा0, दिनांक-04.07.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि पूर्णिया जिला अन्तर्गत बैसा मौजा के खाता सं0-129, प्लॉट सं0-228, 229 एवं 230, थाना-रौटा में SH-99 पथ के किनारे IOCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ हेतु वन भूमि के अपयोजन प्रस्ताव पर FRA-2006 के तहत् प्रमाण-पत्र निर्गत करने के लिए अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों का मान्यता) अधिनियम, 2006 तथा नियम, 2008 के आलोक में प्रखंड विकास पदाधिकारी, बैसा के पत्रांक-948, दिनांक-09.07.2022 द्वारा संबंधित ग्राम पंचायत में वन अधिकार समिति के गठन से संबंधित बैठक की कार्यवाही की प्रति उपलब्ध करायी गयी है एवं अनुमंडल स्तरीय उप खण्ड स्तर की वन अधिकार समिति से संबंधित बैठक की कार्यवाही की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाती है।

अनुलग्नक :-यथोक्त।

विश्वासभाजन

30.07.22

अनुमंडल पदाधिकारी,
बायसी।

Scanned with CamScanner

(30)

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम :– I.O.C.L. आउटलेट स्थापित करने पहुँच पथ हेतु वन भूमि के अपयोजन प्रस्ताव

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम :– रायबेर

अंचल :– बैसा, जिला :– पूर्णियाँ

अनापत्ति प्रमाण – पत्र

बिहार में जिला पूर्णियाँ प्रखण्ड बैसा पंचायत रायबेर में IOCL का रिटेल आउटले स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ हेतु (.......00 कि0मी0) आरक्षित वन भूमि ....0.... है सिविल सायम भूमि 2.79 एकड़ तथा वन पंचायत भूमि ....0.... है0 अर्थात कुल वन भूमि ....0.... है वन भूमि का लोक निर्माण के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यापन करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत रायबेर द्वारा दिनांक 8.7.22 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत की गई। यह है कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रावधानो के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं है। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त प्रयोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर आदिबासियों के परम्परागत अधिकाश का हनन नहीं हो रहा है। चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम बैसा, गोढ़ी टोला ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जाता है जो सत्य एवं सही है।

(हस्ताक्षर) 8/7/22
पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत राज रायबेर
,प्रखण्ड–बैसा,पूर्णियाँ

(हस्ताक्षर) 8/7/22
मुखिया
ग्राम पंचायत राज रायबेर
प्रखण्ड–बैसा (पूर्णियाँ)

(हस्ताक्षर)

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी
बैसा (पूर्णियाँ)

Scanned with CamScanner

ग्राम पंचायत राज रायबेर
प्रखंड - बैसा
जिला - पूर्णियाँ

विषय :— पूर्णियाँ जिलान्तर्गत प्रखंड-बैसा पंचायत-रायबेर में SH-99 के किनारे IOCL का रिटेल-आउटलेट के संबंध में।

दिनांक - 08.04.2022 ई0

प्रमाणित किया जाता है कि इस पंजी में कुल 150 पन्ने हैं।

[signature] 8/4/22

[signature]
मुरवैश्वर
मुखिया
ग्राम पंचायत राज रायबेर
प्रखण्ड-बैसा (पूर्णियाँ)

[signature]
प्रखण्ड विकास पदाधिकारी
बैसा (पूर्णियाँ)

Scanned with CamScanner

" ग्राम सभा " 2.

(28)

1 जिला पदाधिकारी पूर्णिया के पत्रांक-1449 दिनांक 04/07/2024 के द्वारा अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 तथा नियम 2008 के आलोक में आज दिनांक- 04-07-2024 को ग्राम सभा की बैठक की गई।

बैठक में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किये हैं जो निम्न हैं-

1. पंचायत वन अधिकार समिति का गठन किया गया है जिसमें ग्राम सभा की सर्वसम्मति से निम्न-लिखित व्यक्ति शामिल किये गये हैं।

1. सत्य नारायण महलदार - अध्यक्ष
2. अशोक महलदार - सचिव
3. चमन लाल महलदार - सदस्य
4. रेखवारी सरदार - [illegible]
5. प्यारु देवी - [illegible] "
6. बिजली देवी - महिला सदस्य
7. बगुली देवी - " "
8. दुखिया देवी - " "
9. चाँदनी देवी - " "
10. राधा देवी - " "

2. वन अधिकार समिति अध्यक्ष- श्री सत्य नारायण महलदार तथा सचिव- श्री अशोक महलदार

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी
[illegible] (पूर्णिया)

Scanned with CamScanner

को सर्वसम्मति से चुना गया।

5. ग्राम सभा की बैठक में अध्यक्ता सोमरी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रावधानों के तहत आवेदित वन भूमि में [illegible] अन्यथा किसी और [illegible] का [illegible] भूमि कार्य नहीं है।

उपस्थित ग्रामीणों का हस्ताक्षर

1. Mukhiya [illegible]
2. [illegible]
3. चमन [illegible]
4. अशोक [illegible]
5. [illegible]
6. [illegible]
7. [illegible] देवी
8. [illegible] देवी
9. [illegible]
10. [illegible] देवी
11. विन्देश्वर प्रसाद [illegible]
12. शेखर सिंह

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी
[illegible] (पूर्णिया)

Scanned with CamScanner

धुमरी मं० वार्ड नं०

अररिया वार्ड सं०

15 सुमलाल ध

16 [illegible]

17 मोहन

18 मो० [illegible]

19 मो० [illegible]

20 सीताराम मण्डल

21 बेचन महलदार

22 मो० [illegible]

23 [illegible]

24 मो० [illegible]

25 सोहन लाल [illegible]

26 MUNAJIR ALAM

27 मिट्ठू

28 पप्पू कुमार

29 नरेश [illegible]

30 बीणा देवी

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी
बैसा (पूर्णियाँ)

Scanned with CamScanner

4

(25)

9 रीना देवी

50 मीना देवी

51 सुलेखा देवी

52 सुधा देवी

53 विनोद कुमार

4 रीनू कुमारी

55 [illegible]

56 कुसुम देवी

57 [illegible] देवी

58 [illegible] देवी

59 सुधीर

60 कैलाश कुमार

61 श्याम कुमार

वेजू महलदार

भोला महलदार

हरीलाल म०

विलो म०

शत्रु महलदार

डोमा महलदार

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी
[illegible] (पूर्णियाँ)

Scanned with CamScanner

सरस्वती देवी ८७
रुपन्ती देवी ८८
पम्मी देवी ८९
अरुणी देवी ९०
कौशल्या देवी ९१
प्रमीला देवी ९२
श्यामल देवी ९३
मालती देवी ९४
गणेश [illegible] ९५
लालती कुमारी ९[illegible]
कुन्दन कुमार ९[illegible]
गुड्डू कुमारी
सुनील कु०
धानिया कुमारी
[illegible] देवी
शीला देवी
अनिल कुमार
शीला देवी

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी
बैसा (पूर्णिया)

Scanned with CamScanner

23

[illegible]

मो॰ [illegible]

मनोज हंसदा

अनीता देवी

सतीश हुड

कुन्ती देवी

राजकुमार हेड

औ॰ [illegible]

शीला देवी

[illegible] यादव

मनीष हुड

अशोक कु॰ यादव

[illegible] यादव

रेखा देवी

पुनम देवी

अफजल आलम

नरेश हेड

आनन्द मजूमदार

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी
बैसा (पूर्णियाँ)

Scanned with CamScanner

105 [illegible] देवी

106 प्रदीप

107 [illegible]

108 [illegible] कुमारी

109 [illegible] देवी

110 सुनील कुमार

111 [illegible]

112 [illegible] देवी

113 [illegible]

114 [illegible]

115 [illegible] देवी

116 [illegible]

117 [illegible]

118 [illegible] देवी

119 [illegible]

120 [illegible] देवी

121 [illegible]

122 [illegible]

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी
[illegible]

शीला देवी

मो० हकीम

24

अशोक मंडल

25 [illegible] देवी

26

अमृता [illegible]

27

28 [illegible] देवी

अरुण कुमार

29

30 पुनीता देवी

आशावती

31

32 मीना देवी

सरस्वती देवी

33

34 [illegible] मंडल

35 कुदनी देवी

36 राजीव मोहन

37 बीना देवी

मोक्षकान्ती

38

39 सुलेखा देवी

40 फुलकुमारी देवी

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी
[illegible] (पूर्णिया)

Scanned with CamScanner

20

141 पप्पु कुमार

142 [illegible]

143 [illegible]

144 [illegible]

145 [illegible]

146 [illegible]

147 [illegible]

148 [illegible]

149 [illegible]

150 [illegible]

151 [illegible]

152 [illegible]

153 [illegible]

154 [illegible]

155 [illegible]

156 [illegible]

157 [illegible]

158 [illegible]

159 [illegible]

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी
गया (...)

Scanned with CamScanner

160 प्रदीप मण्डल

161 [illegible] देवी

162 [illegible] देवी

163 [illegible]

164 [illegible]

165 [illegible]

166 कौशल्या देवी

167 सरस्वती देवी

168 [illegible]

169 [illegible] देवी

170 [illegible] कुमार

171 [illegible]

172 [illegible] कुमार

173 गनौरी देवी

174 [illegible] देवी

175 [illegible]

176 [illegible] देवी

177 सोनमती देवी

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी
बैसा (पूर्णियाँ)

Scanned with CamScanner

(18)

178	[illegible] देवी
179	[illegible] देवी
180	प्यारी देवी
181	[illegible] देवी
182	[illegible] देवी
183	[illegible] देवी
184	[illegible] देवी
185	[illegible] देवी
186	[illegible]
187	[illegible] देवी
188	जानकी देवी
189	[illegible]
190	[illegible]
191	[illegible]
192	[illegible] देवी
193	[illegible] देवी
194	[illegible]
195	[illegible]

प्रखण्ड विकास पदा[illegible]
[illegible] (पूर्णि[illegible])

Scanned with CamScanner

(13)

197

198

199

200

201

202 देवी

203

204

205

206 देवी

207

208

209 मो० तौफीक आलम

210

211 पानो देवी

212 अमनी देवी

213

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी
बैसा (पूर्णियाँ)

Scanned with CamScanner

अंगूठा निशान

4:- आदि [illegible] सभी [illegible] में से क्रमांक:-04 पर अंकित श्री
रामचन्द्र मुखिया [illegible] सर्वसम्मति से [illegible] सामाजिक
अंकेक्षण एवं क्रमांक [illegible] पर अंकित श्री [illegible] को
सचिव सर्व सम्मति [illegible] मनोनयन किया गया [illegible]
[illegible]
[illegible]

5:- वन अधिकार [illegible] पुल से [illegible] के
[illegible] 230 [illegible]
[illegible]
[illegible] निर्माण [illegible]
आपत्ति नहीं की [illegible]

[illegible] के साथ [illegible] बैठक
[illegible]

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत राज रा[illegible]
प्रखण्ड-बैसा, पूर्णिया

मुखिया
ग्राम पंचायत राज [illegible]
प्रखण्ड-बैसा (पूर्णिया)

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी
बैसा (पूर्णिया)

Scanned with CamScanner

आज दिनांक - 26/07/22 को अपराह्न 02:00 बजे अनुमंडल पदाधिकारी, बायसी की अध्यक्षता में बैसा मौजा के खाता सं०- 129, प्लॉट सं०- 228, 229 एवं 230, थाना- रौटा में SH-99 पथ के किनारे IOCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने पहुँच पथ हेतु परियोजना के निमित्त वन भूमि अपयोजन हेतु FRA-2006 के तहत प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम 2006 तथा नियम, 2008 के तहत अनुमंडल स्तर पर उप खण्ड स्तर की वन अधिकार समिति के गठन एवं अनापत्ति के संदर्भ में बैठक आहूत की गई जिसमें जिला पंचायत राज पदा० पूर्णिया द्वारा बैसा प्रखंड के अन्तर्गत नामित व्यक्ति एवं प्रखंड विकास पदा०, बैसा उपस्थित हुए:-

(हस्ताक्षर) 26.07.22
अनुमंडल पदाधिकारी
बायसी

प्रखंड विकास पदाधिकारी, बैसा - ✓ (हस्ताक्षर)

सदस्य:- श्री सिकन्दर आलम (मुखिया) (ग्रा० पं० चुनामन) — (हस्ताक्षर) 26.7.022 ✓
Mob No - 9471529893

सदस्य:- श्री देवनारायण (पं० समिति सदस्य) (ग्रा० पं० बसुआ गौरा) — ✓ देवनारायण 26/7/22
Mob- 8252935825

सदस्य:- श्री राजीव कुमार राय (पं० समिति सदस्य) (ग्रा० पं० गुंजरा पिपरी) — राजीव कुमार राय
Mob No - 8294672254

प्रस्ताव:- 1) अनुमंडल पदाधिकारी, बायसी द्वारा उपस्थित प्रखंड विकास पदा० बैसा एवं उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया, एवं IOCL परियोजना के क्रियान्वयन हेतु वन भूमि अपयोजन हेतु FRA-2006 के तहत सर्व सम्मति से अनुमंडल स्तरीय उप खण्ड स्तर की वन अधिकार समिति का गठन किया गया, जो निम्नलिखित है!-

Scanned with CamScanner

अध्यक्ष – अनुमंडल पदाधिकारी, बांका

(२) सदस्य – श्री सिकन्दर आलम (मुखिया)

(३) सदस्य – श्री देवनारायण (पंचायत समिति सदस्य)

(४) सदस्य – श्री राजीव कुमार दास (पंचायत समिति सदस्य)

प्रस्ताव:- 2) – प्रखंड विकास पदाधिकारी, बौंसी के पत्रांक- 954, दि०- 07/07/22 द्वारा संबंधित ग्राम- रायबेर, दिनांक- 04/07/22 द्वारा समर्पित SH-22 के किनारे IOCL का आउटलेट से संबंधित अनापत्ति के साथ ग्राम सभा की प्रति बैठक में प्रस्तुत किया गया, जिसे अनुमंडल स्तर पर उप खण्ड समिति के समक्ष आपत्ति / अनापत्ति के संदर्भ में प्रस्ताव रखा गया। किन्हीं सदस्यों द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई। भूमि के अपयोजन हेतु FRA-2006 के तहत प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए अधिनियम, 2006 तथा नियम, 2008 के तहत IOCL के क्रियान्वयन हेतु अनापत्ति के साथ प्रस्ताव पारित किया गया।

प्रस्ताव: 3) वन अधिकार समिति द्वारा खाता सं०-129, मौजा बैरा प्लॉट सं०- 228, 229 एवं 230, थाना- बौंसी, प्रखंड- बौंसी में SH-22 पथ के किनारे IOCL रिटेल आउटलेट निर्माण के लिए सहमति दी गई तथा किसी सदस्यों द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई।

धन्यवाद के साथ आज की बैठक की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

26.07.22

अनुमंडल पदाधिकारी
बांका

Scanned with CamScanner

श्री सुहर्ष भगत, भा०प्र०से०, जिला पदाधिकारी, पूर्णिया की अध्यक्षता में दिनांक 16.12.2022 को 11:30 बजे पूर्वाह्न समाहरणालय सभाकक्ष में आयोजित जिला वनाधिकार समिति की बैठक की कार्यवाही :-

---

उपस्थिति :- पंजी में।

1. वन प्रमण्डल पदाधिकारी, पूर्णिया वन प्रमण्डल, पूर्णिया - सदस्य
2. अपर समाहर्त्ता, पूर्णिया - सदस्य
3. अनुमण्डल पदाधिकारी, धमदाहा - सदस्य
4. जिला अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी, पूर्णिया - सदस्य
5. श्री अशोक कुमार हाँसदा, जिला परिषद सदस्य, क्षेत्र सं0-08, (प्रखण्ड-धमदाहा) - सदस्य
6. श्री संतोष कुमार सिंह, जिला परिषद सदस्य, क्षेत्र सं0-13, (प्रखण्ड-बनमनखी) - सदस्य
7. श्री रईसुल आजम, जिला परिषद सदस्य, क्षेत्र सं0-17, (प्रखण्ड-के0नगर) - सदस्य
8. श्रीमती सुलेखा देवी, जिला परिषद सदस्य, क्षेत्र सं0-20, (प्रखण्ड-जलालगढ़) - सदस्य

बैठक में उपरोक्त सभी सदस्य उपस्थित हुए।

सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया गया। तदोपरान्त जिला वनाधिकार समिति के दायित्वों एवं कर्त्तव्यों के संबंध में सभी सदस्यों को अवगत कराया गया।

बैठक में पूर्णिया जिलान्तर्गत बैसा ग्राम के खाता संख्या-129, प्लॉट संख्या-228, 229 एवं 230, थाना-रौटा में एस0एच0-99 पथ के किनारे इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम-1980 अन्तर्गत 0.012 हे0 वन भूमि का अपयोजन प्रस्ताव पर FRA-2006 प्रमाण पत्र निर्गत करने के निमित्त पंचायत, प्रखण्ड एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, धमदाहा द्वारा प्राप्त पारित प्रस्ताव/अनापत्ति पर उपस्थित सदस्यों द्वारा विचार किया गया।

प्रस्ताव के अवलोकनोपरान्त पाया गया कि ग्राम पंचायत रायबेर के प्रस्ताव को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बैसा द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी, बायसी को उपलब्ध कराया गया। ग्राम पंचायतों से प्राप्त प्रस्ताव/अनापत्ति को अनुमण्डल स्तरीय वनाधिकार समिति के अध्यक्ष, अनुमण्डल पदाधिकारी, बायसी द्वारा प्रस्ताव हस्तगत कराया गया।

बैठक में उपस्थित किसी भी सदस्य द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी, बायसी से प्राप्त ग्राम पंचायत स्तरीय प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं की गयी तथा प्राप्त प्रस्ताव को अनुमोदित करने एवं उक्त परियोजना के निमित्त FRA-2006 प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु सहमति दी गयी।

बैठक में उपस्थित अपर समाहर्त्ता, पूर्णिया को उक्त परियोजना के निमित्त FRA-2006 प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु अविलम्ब संचिका उपस्थापित करने हेतु निदेशित किया गया।

अन्त में धन्यवाद के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

20/12/2

जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष
जिला वनाधिकार समिति, पूर्णिया

Scanned with CamScanner

ज्ञापांक - 2736 / सा0, पूर्णिया दिनांक - 31/12/22

प्रतिलिपि :- श्रीमती सुलेखा देवी, जिला परिषद सदस्य, क्षेत्र सं0-20, (प्रखण्ड-जलालगढ़) को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- श्री संतोष कुमार सिंह, जिला परिषद सदस्य, क्षेत्र सं0-13, (प्रखण्ड-बनमनखी) को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- श्री रईसुल आजम, जिला परिषद सदस्य, क्षेत्र सं0-17, (प्रखण्ड-के0नगर) को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- श्री अशोक कुमार हाँसदा, जिला परिषद सदस्य, क्षेत्र सं0-08, (प्रखण्ड-धमदाहा) को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बैसा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अनुमण्डल पदाधिकारी, बायसी को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी, पूर्णिया को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अपर समाहर्त्ता, पूर्णिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, पूर्णिया वन प्रमण्डल, पूर्णिया को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार पटना को उनके ज्ञापांक-505, दिनांक-18.06.2021 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

30/12/22

जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष
जिला वनाधिकार समिति, पूर्णिया

Scanned with CamScanner